सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 4/2017

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री केशव राठौर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद उम्र 24 वर्ष निवासी सरस्वती कॉलोनी तेल फैक्ट्री बारा **(मौके पर मोजूद विक्रेता व मालिक)** मैसर्स कृष्णा बैकरी तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री मदन मोहन नागर अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 24.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.08.2016 को मैसर्स कृष्णा बैकरी तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री केशव राठौर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 15.08.2016 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26. 10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** 01 कि.ग्रा. के लगभग 10 पैक डिब्बे में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0 के 04 पैक डिब्बे** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री केशव राठौर पुत्र श्री

जगदीश प्रसाद को 320/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री महावीर व श्री सूरमल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0** को 04 पैक मूल को अलग–अलग चार नमूना भाग में कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–632 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–632 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री केशव राठौर पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/272 दिनांक 17.10.2016 से ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 22/FSSL/KOTA/Act/2016/23 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स कृष्णा बैकरी तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ से पत्रांक 273 दिनांक 17.10.2016 एवं 300 दिनांक 15.11.2016 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की सूचना चाही गई। मैसर्स कृष्णा बैकरी द्वारा प्रतिउत्तर में कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया।

जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक प्रकरण में दिनांक 18.07.2019 से अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी की प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 01 कि0ग्रा0** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार है कि अप्रार्थी की फर्म कृष्णा बैकरी तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ पर दुकान है। उक्त दुकान में सामान बाजार से खरीद कर बेचता है। अप्रार्थी के पास व्यवसाय करने हेतु दुकान के लाईसेन्स के लिए आवेदन कर रखा है। अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के अन्तर्गत दिया गया नोटिस मिथ्या आधारों पर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अप्रार्थी को दिया गया नोटिस अभियान के अन्तर्गत दिया गया है। जो परेशान करने की गरज से दिया गया है। अप्रार्थी ने महाराजा रसगुल्ला थोक की दुकान दीनदयाल पार्क पर स्थित बीकनेरी मिष्ठान भण्डार जो रजिस्टर्ड है, से खरीद कर जैसा खरीदा वैसा ही बेचा है। उसके किसी भी प्रकार की मिलावट वगैराह नही की है तथा उक्त दुकान महाराजा रसगुल्ला को शुद्धता के आधार पर जैसा पेकिंग था वैसा ही पेकिंगशुदा रसगुल्ला बेचा है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस उपरोक्त दिये गये आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है। यही जवाब अप्रार्थी का माना जावे। अप्रार्थी को दिये गये नोटिस की कार्यवाही खारिज किये जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **आयोडाईज्ड नमक(प्राईम) 1 कि0ग्रा0 पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। अप्रार्थी के अभिभाषक अनुपस्थित रहने से, अप्रार्थी को निर्णय की सत्य प्रतिलिपी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)